राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2094/2023

संजीव भारद्वाज **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. परिवहन आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.08.2023
आदेश की दिनांक : 23.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 01.08.2023 को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर–प्रथम से जिला परिवहन अधिकारी नौहर के पद पर किया गया है (अनुलग्नक–1)। प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.09.2021 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला परिवहन अधिकारी दौसा से जिला परिवहन अधिकारी (लाईसेंस), झालाना, जयपुर किया गया, जहां अपीलार्थी दिनांक 17.09.2021 द्वारा कार्यभार ग्रहण कर कार्यरत है। आलोच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला परिवहन अधिकारी नोहर किया गया है, जो अनुचित होने के कारण निरस्त योग्य है। आलोच्य आदेश भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 02.06.2023 की अनुपालना में जारी किया जाना अंकित है। उक्त निर्देशों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी तीन वर्षो से एक ही स्थान पर कार्यरत है या वह अपने गृह जिले में कार्यरत है, तो उसके स्थानान्तरण किए जाने के निर्देश है।

अपीलार्थी का गृह जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश है, जो उसकी सेवा पुस्तिका में निवास स्थान का पता अंकित है। अपीलार्थी वर्तमान पद पर दिनांक 17.09.2021 से कार्यरत है। अतः अपीलार्थी का प्रकरण भारत निर्वाचन आयोग के जारी निर्देशों में नहीं आने से स्थानान्तरण आदेश निरस्त योग्य है। सेवापुस्तिका का प्रासंगिक अंश अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध है। आलोच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण इस आधार पर किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर तीन वर्ष से लगातार कार्यरत है, जो गलत सूचना के आधार पर आलोच्य आदेश जारी किया गया है। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर प्रथम ने उप परिवहन आयुक्त जयपुर को दिनांक 21.06.2023 को सूचना भिजवाई गई एवं सूचना के अनुसार अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थल जयपुर में दिनांक 01.01.2020 से पदस्थापित होना और उसका गृह जिला जयपुर होना दर्शित है, जबकि उक्त दोनों ही तथ्य सही नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 13.01.2021 तक दौसा में कार्यरत था (अनुलग्नक–4)। अतः गलत सूचना के आधार पर आलौच्य आदेश जारी किया गया। आलोच्य स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसरण में आलोच्य आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी का गृह जिला जयपुर होने और दिनांक 31.01.2024 की कटऑफ डेट से उक्त चार वर्षों में से तीन वर्ष से ज्यादा अवधि का अपीलार्थी का पदस्थापन जयपुर जिले में होने के आधार पर आलोच्य आदेश जारी किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि या दुर्भावना नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग ने निवेदन किया कि स्थानान्तरण को माननीय न्यायालय द्वारा

प्रशासनिक प्रक्रिया का अंग मानते हुए निम्न न्याय निर्णयों में न्यायोचित ठहराया गया है।

(A) General Manager (Telcom) ME Telecom. Circle Vs. Rajendra Bhattacharya- AIR 1995 S.C.C. 813(3).

(B) State of U.P. vs. Dr. R.M. Prasad-1995 (2) SCC 151 (Supplementary)

(C) M.L. Singh Vs. State of Orissa & Ors. 1995 (1) STC 269.

(D) Abnikant Raj Vs. State of Orissa 1995 (Supl.) (4) SCC 169.

अतः अपील को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर आदेश दिनांक 09.09.2021 से पदस्थापित है (अनुलग्नक–2)। बहस के दौरान अपीलार्थी की तरफ से प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.02.2020 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी को जिला परिवहन अधिकारी के रिक्त पद पर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय दौसा में कार्यव्यवस्थार्थ लगाया गया है। साथ ही प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय दौसा में अपीलार्थी की उपस्थिति पंजिका भी प्रस्तुत की गई है। अतः प्रत्यर्थी विभाग का कथन सही नहीं है कि अपीलार्थी दिनांक 01.01.2020 से जयपुर में पदस्थापित है। जहां तक अपीलार्थी के गृह जिले का प्रश्न है। पत्रावली पर उपलब्ध सेवाभिलेख के आधार पर अपीलार्थी का गृह जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर–प्रथम द्वारा अपीलार्थी के संबंध में परिवहन आयुक्तालय को प्रेषित सूचना में अपीलार्थी का गृह जिला जयपुर होने एवं दिनांक 01.01.2020 से जयपुर में पदस्थापित होने की त्रुटिपूर्ण सूचना प्रस्तुत

करने के आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जिला परिवहन अधिकारी नोहर के पद पर किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत एक ही जिले में चार वर्षों में से तीन वर्ष का पदस्थापन होने अथवा गृह जिले में पदस्थापित होने की दशा में ही स्थानान्तरण किया जाना है, जबकि हस्तगत प्रकरण में दोनों ही शर्तें लागू नहीं होती है। अतः अपील स्वीकार की जाकर स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 01.08.2023 को अपीलार्थी के संबंध में अपास्त किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

मनीष